

\* ई-मेल  
स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-10/1/2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर परिषद्, जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित कुल ₹450.20300 लाख (चार करोड़ पचास लाख बीस हजार तीन सौ रु०) मात्र की स्वीकृत योजनाओं के लिए आवंटित राशि ₹160.93700 लाख (एक करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार सात सौ रु०) मात्र की निकासी नहीं होने की स्थिति में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹160.93700 लाख (एक करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार सात सौ रु०) मात्र की पुनः सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर परिषद्, जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित योजनाओं को स्तम्भ- 04 में अंकित राज्यादेशों द्वारा स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹450.20300 लाख (चार करोड़ पचास लाख बीस हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 6 के अनुरूप कुल ₹160.93700 लाख (एक करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार सात सौ रु०) मात्र आवंटित किया गया था।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जहानाबाद के पत्रांक- 1298, दिनांक- 17.08.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त स्वीकृत योजनाओं के लिए आवंटित राशि की निकासी नहीं हो पाई थी। साथ ही इस संबंध में वरीय कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक- 1105, दिनांक- 05.08.2019 द्वारा निर्गत अनिकासी प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए अनिकासी की राशि को पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जहानाबाद द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 7 में अंकित अनिकासी की राशि को स्तम्भ- 8 के अनुरूप कुल ₹160.93700 लाख (एक करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार सात सौ रु०) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अनिकासी की राशि	पुनः आवंटित अनिकासी की राशि	अवशेष राशि (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर परिषद्, जहानाबाद	वार्ड सं०- 08 के एकंगर रोड में निजामुद्दीनपुर निरज यादव के मकान से रामानंद शर्मा के मकान तक नाली ढक्कन एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	125/ 12.02.2019	19.99700	9.99850	9.99850	9.99850	9.99850
2		पटना-गया एन०एच०- 83 कार्गिल चौक से देवरिया मंदिर होते हुए जमुना नदी तक पी०सी०सी० पथ-सह-आर० सी०सी० नाला निर्माण।		256.65800	64.16450	64.16450	64.16450	192.49350
3		वार्ड नं०- 33 में रामजी पासवान से भोला राम के आगे होते हुए विश्वनाथ राम तक पी०सी०सी० पथ एवं नाली निर्माण।	133/ 28.02.2019	20.74600	10.37300	10.37300	10.37300	10.37300
4		वार्ड नं०- 33 में दूर्गा स्थान से अरविन्द पासवान के घर तक पी०सी०सी० नाला एवं ढक्कन निर्माण कार्य।		25.72100	12.86050	12.86050	12.86050	12.86050
5		वार्ड नं०- 29 में अवस्थित बेरथु कोठी होते श्री श्याम कुमार के घर से पश्चिम तरफ से ब्रजेश कुमार के घर तक पी०सी०सी० कार्य एवं पूर्व निर्मित नाला की मरम्मत एवं ढक्कन निर्माण।	63/ 27.09.2018	8.84600	4.42300	4.42300	4.42300	4.42300
6		वार्ड नं०- 29 में अवस्थित श्री ब्रजेश कुमार ग्राम डैडी के घर से पूरब से पी०सी०सी० कार्य सहित नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य नाला का जल निकासी श्री अरुण शर्मा ग्राम डेडसईया के घर के पास पूर्व से निर्मित नाला की आरे हो।		10.58500	5.29250	5.29250	5.29250	5.29250
7		वार्ड सं०- 26 में विन्द के मकान से अजय गुप्ता के मकान होते हुए करघा नदी तक नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	111/ 09.01.2019	54.71000	27.35500	27.35500	27.35500	27.35500
8		वार्ड नं०- 27 में पटना गया रोड से संतोष सर के स्कूल तक पी०सी०सी० पथ, नाला एवं ढक्कन निर्माण कार्य।		34.26200	17.13100	17.13100	17.13100	17.13100
9		वार्ड नं०- 29 में बलराम पंडित के मकान से दयानिधि के मकान होते हुए नबाई बैंक तक पी०सी०सी० पथ, नाला एवं नाला का ढक्कन निर्माण कार्य।		18.67800	9.33900	9.33900	9.33900	9.33900
कुल योग				450.20300	160.93700	160.93700	160.93700	289.26600

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹160.93700 लाख (एक करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार सात सौ रु०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹160.93700 लाख (एक करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार सात सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019, पत्रांक- 733, दिनांक- 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) एवं पत्रांक- 1081, दिनांक- 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद्, जहानाबाद के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल ₹160.93700 लाख (एक करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार सात सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031920105**, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) **तालिका के क्रमांक- 01 से 04 पर अंकित योजनाओं का कार्य नगर परिषद्, जहानाबाद तथा क्रमांक- 05 से 09 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन बुडको, जहानाबाद द्वारा किया जायेगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

(vi) योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/बजट-14-11/2019 के पृष्ठ सं०-.....२०...../टि० पर दिनांक-०९/०१/२०२० को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....२१...../टि० पर दिनांक-०९/०१/२०२० को प्राप्त है।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जहानाबाद/कार्यपालक अभियंता, बुडको, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/बजट-14-11/2019 170 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-10/1/2020

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जहानाबाद/कार्यपालक अभियंता, बुडको, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।